न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—246/2019/223 (2019/00246)

1. भगवानसिंह पुत्र स्व0 हीरालाल, जाति जाट, निवासी ग्राम जेठाना, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. पन्नालाल पुत्र हांसाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम जेठाना, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
3. रामरतन गैना पुत्र हांसाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम जेठाना, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 7.6.2019 अंतर्गत वाद संख्या 55—ए/2016.

उपस्थितः—

1. श्री हगामीलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 20.10.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.6.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, एवं 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जेठाना, तहसील पीसांगन में वादीगण के पिता स्व0 हांसाराम पुत्र शोलाल जाति जाट की कृषि भूमिया अवस्थित आराजी खसरा संख्या पुराना 1465 वर्किग जमाबंदी का नंबर 1607 का नया नंबर 3055 एवं खसरा संख्या पुराना 1465 वर्किग नंबर 1608 हाल नया नंबर 3040 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है । स्व0 हीरालाल के स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। राज0काश्त0अधी0 की धारा 15 में स्पष्ट प्रावधान है कि काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व तथा पश्चात् तत्समय के प्रचलित राजस्व कानूनों एवं अध्यादेशों के अनुसार एक बार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने के उपरांत उन्हें बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एवं बिना सुनवाई के उनके खातेदारी अधिकार निरस्त नहीं किये जा सकते है । वादीगण के पिता हांसा वल्द शोलाल के नाम जमाबंदी खतौनी संवत् 2020 से 2023

बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है उस आधार पर तत्पश्चात् बनने वाली जमाबंदी में इंद्राज करने चाहिये थे जो नही कर कानूनी भूल की है। वादीगण द्वारा समय–समय पर विभिन्न राजस्व अभियानों में प्रार्थना पत्र पेश कर पुनः खातेदारी बहाल करने की प्रार्थना की गई । अंतिम प्रार्थना पत्र दिनांक 30.6.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2016 कैम्प प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है । इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को वादवर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7.6.2019 द्वारा वादीगण का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 प्रदर्श–1 एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2021 से 2024 में दर्ज इंद्राजों के अनुसार विवादित आराजियात अधिकार अभिलेख में अपीलांटस के पूर्वज हांसाराम पुत्र शोलाल के नाम खातेदारी से दर्ज थी तब से अपीलांटस उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 में उक्त दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण नहीं कर राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की है । राजस्व अधिकारियों द्वारा जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के इद्रांजों का पश्चात्वर्ती जमाबंदी में पुनरावृति नहीं कर बिना किसी आधार के अपीलांटस की पुश्तैनी काबिज खातेदारी की भूमि को सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया जिसका राजस्व अधिकारियों को विधिक अधिकार नहीं था । वादीगण/अपीलांटस ने दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजियात पर अपना कब्जा काश्त प्रमाणित किया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का वाद माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की पूर्ण पीठ द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णय दिनांक 30.8.2018 के आधार पर खारिज किया है जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है जबकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में प्रतिकूल कब्जे बाबत् कोई प्लीडिंग नहीं है तथा मान0 मण्डल का उक्त निर्णय वादीगण के प्रकरण पर लागू नही होता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में अतिक्रमी गैर खातेदारी बाबत् कोई अभिवचन नहीं होते हुए भी अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 के निर्णय में अपीलांटस को गैर खातेदार अतिक्रमी मानते हुए निर्णय पारित किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादीगण द्वारा अपना वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से तनकी संख्या 1 व 2 खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा पाने का संदेह से परे होना साबित किया एवं तनकी संख्या 1 व 2 के होते हुए तनकी संख्या 3 व 4 का कोई औचित्य नहीं रहता है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के राजस्व अभिलेख के इंद्राजों व मौखिक साक्ष्य के विपरीत तनकी संख्या 1 से 4 अपीलांटस के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 451 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात अंतिम चौसाला जमाबंदी तक राजकीय सिवायचक भूमि अंकित है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी/अपीलांट का मुख्य कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि काश्तकारी कानून लागू होने से पूर्व तथा पश्चात् तत्समय के प्रचलित राजस्व कानूनों एवं अध्यादेशों के अनुसार एक बार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने के उपरांत उन्हें बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एवं बिना सुनवाई के खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती हैं । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांटस ने अपने वाद के समर्थन में अधी0न्याया0 के समक्ष प्रदर्श–1 संवत् 2020 से 2023 ग्राम जेठाना की जमाबंदी पेश की है जिसके कॉलम नंबर 5 में हांसा वल्द शोलाला जाट सा0देह मु0 एक साल अंकित है । वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2021 से 2024 एवं 2025 से 2028 के कॉलम संख्या 41 में हीरा/हांसा का उल्लेख किन्तु इसके बाद की खसरा गिरदावरियों में कृषक का उल्लेख नहीं है । राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 अजमेर जिले में दिनांक 15.6.1958 को लागू हुआ तथा तत्समय प्रचलित विधि अनुसार कब्जा काश्त होना अतिआवश्यक होता है । कब्जे काश्त के आधार पर राज0काश्त0अधि0 के तहत तृतीय अनुसूची के अनुसार सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर के समक्ष तृतीय अनुसूची में अभिवर्णित समयावधि के भीतर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने आवश्यक थे । हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 15.6.1958 को भौतिक कब्जे काश्त में रहे हो तथा समयावधि में सहायक कलक्टर के समक्ष खातेदारी के संबंध में चाराजोही किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । वादीगण/अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक दिनांक 7.6.2019 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर